अध्याय XX

पश्चिम बंगाल

1991की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 6,80,77,965 थी जिसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या क्रमशः 1,60,80,611 तथा 38,08,760 थी जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 23.62 प्रतिशत तथा 5.59 प्रतिशत थी। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर क्रमशः 42.21 प्रतिशत तथा 27.78 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में राज्य में समूचे रूप से आम साक्षरता दर 57.7प्रतिशत थी। आम महिलाओं में साक्षरता की दर 45.56 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं में 28.27 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 15 प्रतिशत थी जो विशेष रूप से चिन्ता का विषय है।

आर्थिक विकास - एएसपी/टीएसपी का कार्यान्वयन

20.2 वर्ष 1997-98 के दौरान वार्षिक योजना परिव्यय तथा विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) को धनराशि का प्रवाह नीचे दर्शाया गया है:--

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. का प्रवाह	%	व्यय	%
1997-98	3922	300	7.66	175	4.45

20.3 उपर्युक्त सारणी यह दर्शाती है कि निधियों का प्रवाह बिल्कुल अपर्याप्त है और यह राज्य में अनुसूचित जाति की 24 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात के कही भी निकट नहीं है अत्यंत दुख की बात है कि धनराशी के इस मामूली से प्रवाह का (7.66) भी उपयोग नहीं किया जा सका। केवल 4.45 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी जो निर्धारित प्रतिशतता से बहुत ही कम थी। 1998-99 के दौरान एस.सी.पी. को मिलने वाला धनराशि का प्रवाह पिछले वर्ष से कम हो गया अर्थात 5.12 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल सरकार वास्तविक व्यय के आकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस प्रकार एस.सी.पी. के लिए धनराशि का आबंटन और उनके व्यय की स्थिति चिंताजनक है। यह विषय पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में लाया गया है जिन्होंने आश्वासन दिया है कि एस.सी.पी./ टी.एस.पी. के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन में वृद्धि की जाएगी।

एस.सी.पी. के लिए विशेष केंद्रीय सहायता

20.4 वर्ष 1997-98 के लिए भारत सरकार ने एस.सी.पी. तथा टी.सी.पी. को एस.सी.ए. के रूप में क्रमशः 2849 लाख रूपए तथा 1600 लाख रूपए जारी किए । बंगाल सरकार ने जारी की गई पूरी राशि का उपयोग किया। राज्य सरकार ने एक प्रणाली शुरू की है जिसके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर स्कीमें बनाई जाती है और इनकी सिफारिश ज़िला कल्याण समिति द्वारा की जाती है। ज़िला कल्याण समिति को इन योजनाओं का अनुवीक्षण और कार्यान्वित करने का काम भी सौपा गया है। पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम द्वारा परिवारों के लिए आर्थिक स्कीमें निष्पादित की जा रही है।

जनजातीय उप योजना

20.5 34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं है (आईटी.डी.पी.) जो 15 ज़िलों में फैली हैं। लगभग 45 प्रतिशत जनजातीय लोग आई.टी.डी.पी. क्षेत्र से बाहर रहने है, पूरे पश्चिम बंगाल में बिखरी उनकी जनसंख्या के कारण राज्य सरकार ने राज्य योजना में से धनराशि मंजूर की है और भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के रूप में धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों से बाहर रह रह जनजातीय लोगों को टी.एस.पी. स्कीम का लाभ पहुँचाया जाएगा।

20.6 निम्नलिखित विवरण में वर्ष 1997 के दौरान राज्य योजना परिव्यय, टी.एस.पी. के धनराशि का प्रवाह तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय दिखाया गया है।

(रूपए करोड़ों में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	टी.एस.पी. के प्रवाह(प्रस्तावित)	%	व्यय	%
1997-98	3922	103	2.63	55	1.39

20.7 उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि वार्षिक योजना परिव्यय के अन्तर्गत टी.एस.पी. को धनराशि प्रवाह राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशतता से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त आबंटित की गई राशि में से लगभग 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। टी.एस.पी./एस.सी.पी. को धनराशि निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता 1998-99 में भी नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को एस.सी.पी./टी.एस.पी. कार्यक्रमों में अन्य क्षेत्रक विभागों की योजनाओं को भी शामिल करना चाहिए। राज्य योजना परिव्यव में से भी टी.स.पी./एस.सी.पी. के लिए आवंटन में वृद्धि करने की भी तुरंत आवश्यकता है।

वित्तीय निगम

20.8 गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति परिवारों को सहायता पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम द्वारा दी जा रही है। यह सहायता उन्हें आमदनी जुटाने वाली स्कीमों के लिए मार्जिन राशि ऋण तथा सब्सिडी देकर दी जाती है।

20.9 वर्ष 1997-98 के दौरान निगम ने परिवारों के लिए आय जुटाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत 60375 अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को 20.48 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

20.10 यह निगम मुक्त किए गए स्वच्छकारों के पुनर्वास की स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी भी है। इन स्कीमों के अन्तर्गत सूअर पालन, स्टेशनरी दुकान, फल बेचने, फर्नीचर बनाने, रिक्शा वैन, डेरी, टी-स्टाल आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

20.11 इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को सीधे निगम से मार्जिन राशि, सब्सिडी और विशेष ऋण मिलता है और लाभार्थियों को बैंको से वाणिज्यिक ऋण नहीं लेने पड़ते। 1997-98 के दौरान

लाभार्थियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया किन्तु इस वर्ष के लिए कुल मिला कर 127 लाभार्थियों को 14.47 लाख रूपए के विशष ऋण दिए गए जिसमें से 5.27 लाख रूपए सब्सिडी के रूप में थे।

2012 निगम द्वारा इन.एस.एफ.डी.सी. से संबद्ध स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही है। 1997-98 के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 158 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन्न स्कीमों से लाभान्वित किया गया है जैसा आटो रिक्शा, आटो वैन, पावर टिलर, सिलेसिलाए कपड़े डीजल टैक्सी, कुक्कुट पालन, फोटों कापी आदि। यह लाभ 134.51 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दे कर पहुँचाया गया है जिसमें 11.40 लाख रूपए सब्सिडी के रूप में भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लि0

20.13 पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लि0 (डब्लु.बी.टी.डी.डी.सी.) की स्थापना विभिन्न प्रकार की विकास स्कीमों के द्वारा गरीब और शोषित ग्रामीण-जनजातीय लोगों का सहज आर्थिक विकास बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस निगम ने 116 "लैम्पस" (बड़े आकार की बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियां) तथा दो महिला समितियां गठित की है। इनके मुख्य कार्य लघु वन उम्पाद प्राप्त करने और इसकी बिक्री से संबंधित है क्योकि टी.डी.सी.सी. के सभी कार्यकलाप "लैम्पस" तथा महिला समितियों के माध्यम से किए जाते है।

शिक्षा

20.14 राज्य में साक्षरता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए है। प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गांव में एक प्राथमिक विधालय उपलब्ध कराया गया है और विधालयों में अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता सुदृढ़ की गई है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए और छात्रावास खोलने पर भी जोर दिया गया है। 1124 मैट्रिकोतर छात्रों के लिए राज्य के 8 ज़िलों में 15 केंद्रीय छात्रावास है। इनमें से 4 छात्रावास पूर्णतः अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए तथा 2 अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए है। राज्य सरकार 201 आश्रम छात्रावास भी चला रही है जिनमें से 178 छात्रावास लड़कों के लिए तथा 23 लड़कियों के लिए है इनमें अनुसूचित जाति के 32022 तथा अनुसूचित जनजाति के 28000 छात्र रह सकते है। छात्रवास में रहने वालों को 10मास के लिए 300 रूपए अनुरक्षण भत्ते के रूप में मिलते है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान, परीक्षा-शुल्क, छूट और विशेष योग्यता छात्रवृत्ति स्कीमें भी चला रही है।

सेवा संबंधी सुरक्षण

20.15 राज्य सरकार पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं तथा पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 1976 के उपबंधों को कार्यान्वित करती चली आई है। सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण की सीमा अनुसूचित जातियो के लिए 22 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत है।

20.16 आरक्षण के सांविधिक प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त आरक्षण आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। जिले में, जिला न्यायाधीशों को यह देखने की जिम्मेदारी सोंपी गई है कि सभी वर्गो के पदों के लिए आरक्षण नीति पूरी तरह से कार्यान्वित की जाती है। वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करना या नियुक्ति रजिस्टर न

रखना और धारा 4 तथा 5 में दिए गए उपबंधों का नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन, पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं तथा पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 1976 में 1996 के एक संशोधन द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है।

20.17 उपयुक्त नियमों और विनियमों के बावजूद राज्य सरकार विभिन्न विभागों में अलग-अलग सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधत्व को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाई है।

अत्याचार

20.18 राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार का कोई मामला घटित नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार ने सभी जिलो को शामिल करते हुए 17 विशेष न्यायालय स्थापित किए है। गृह विभाग तथा पिछडें वर्ग कल्याण विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध का कोई मामला घटित न हो।